भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1579
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

मिथिला क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में मैथिली भाषा का अनिवार्य उपयोग

1579. **श्री गोपाल जी ठाकुर**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मिथिला क्षेत्र में कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा मैथिली को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ग) मिडल और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बहुभाषी दक्षता की आवश्यकता के साथ मातृभाषा/स्थानीय भाषा को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता को किस प्रकार संतुलित किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने नई बोर्ड परीक्षा नीति, जिसमें वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है, के कार्यान्वयन के लिए तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में, पहली बार 3 वर्ष के स्कूल पूर्व (बालवाटिका) को 5+3+3+4 संरचना में शिक्षा की निरंतरता के रूप में मान्यता दी गई है, जहां बुनियादी चरण 3 वर्ष का स्कूल पूर्व और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है। स्कूल शिक्षा विभाग (डीओएसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को नए बुनियादी चरण (एफएस) में एकीकृत करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता प्राप्त हो। जैसाकि एनईपी 2020 में ग्रेड 2 के अंत

तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) प्राप्त करने के लिए, निपुण भारत मिशन नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

निपुण भारत मिशन : 5 जुलाई, 2021 को "समझ और संख्याज्ञान के साथ पठन में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)" नामक एक प्रमुख राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 2 के अंत तक आवश्यक रूप से एफएलएन प्राप्त कर ले। इस मिशन की स्थापना समग्र शिक्षा के तत्वावधान में की गई है। सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निपुण-भारत मिशन (एनबीएम) का कार्यान्वयन कर रहे हैं। एनबीएम के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय मानदंड प्रदान किए जाते हैं:

- स्कूल पूर्व शिक्षा/सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों (आवर्ती और गैर-आवर्ती) को सहायता
- नवाचारी शिक्षाशास्त्र के कार्यान्वयन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री
- शिक्षक संसाधन सामग्री/कार्यकलाप पुस्तिका
- ग्रेड I और II के शिक्षकों का क्षमता निर्माण
- छात्रों का स्वतंत्र, आवधिक और समग्र मूल्यांकन
- राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन

स्कूल पूर्व (बालवाटिका) को बुनियादी चरण में एकीकृत करने के लिए, निम्नलिखित प्रगति हुई है:

- **एनसीएफ़-एफ़एस** : बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ-एफएस) 20 अक्टूबर, 2022 को जारी किया गया था, जो पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण शिक्षण सामग्री (एलटीएम) आदि के लिए एक संरचना प्रदान करता है। यह भारत में 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा है।

- **विद्या प्रवेश** : 29 जुलाई, 2021 को 'विद्या प्रवेश' नाम से ग्रेड I के लिए 3 माह का नाट्य आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश' शुरू किया गया था। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमियों (बालवाटिका, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), घर पर, निजी खेल स्कूलों आदि) से ग्रेड-I में आने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चों को ग्रेड-I में सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जा सके। यह कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है। वर्तमान में, सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम लागू किया है।

- **आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-अवस्थिति (एडब्ल्यूसी)**: जैसाकि एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है कि उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मॉडलों में से एक में ग्रेड 1 वाले आंगनवाड़ी सह-स्थित स्कूल शामिल हैं। इस संबंध में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 3 सितंबर, 2025 को "स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों (आंगनवाड़ी केंद्रों) की सह-अवस्थिति के लिए दिशानिर्देश" जारी किए हैं।

(ख) और (ग): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और बहुसंख्य स्कूल राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं। एनईपी 2020 के पैरा 4.13 के अनुसार, "*संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र लागू किया जाना जारी रहेगा। तथापि, त्रि-भाषा सूत्र में अधिक लचीलापन होगा, और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की रुचि होंगी, जब तक कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषा हों। विशेष रूप से, जो छात्र तीन भाषाओं में से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हों।*''

सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन की है। एनईपी, 2020 में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयास पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में उल्लेख किया गया है कि जहां भी संभव होगा, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में हो। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षण घरेलू भाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और भारतीय भाषाओं को स्कूल शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि छात्रों के पास किसी भी भारतीय भाषा में अध्ययन करने का विकल्प हो। एनईपी, 2020 के अनुपालन रूप में, जुलाई 2023 में स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 शुरू की गई थी एवं भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) एनसीईआरटी ने ग्रेड 1 से 3 और 6 के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें विकसित और प्रकाशित की हैं। पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट https://ncert.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ii) जादुई पिटारा (जेपी), 3-8 वर्ष की आयु के लिए 53 खेल-आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री का एक सेट है जिसे 20 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध, जादुई पिटारा में खिलौने, पहेलियाँ, कहानी कार्ड, फ्लैशकार्ड और शिक्षक हैंडबुक शामिल हैं। दिनांक 10 फरवरी 2024 को शुरू शुरू किए गए इसके डिजिटल एक्सटैन्शन, ई-जादूई पिटारा, बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को सहयोग देने के लिए 22 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी कहानियां, गतिविधियां, गीत और एआई-आधारित बॉट-कथा सखी, शिक्षक तारा और अभिभावक तारा प्रदान करता है। जैसाकि एनईपी 2020 में परिकल्पित है, ये पहल बुनियादी चरण का एक अभिन्न अंग हैं।

(iii) कम से कम 10,000 की आबादी द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषाओं में एफएलएन के लिए 121 स्थानीय भाषाओं में प्राइमर (मार्च, 2024 में शुरू किए गए) विकसित किए गए हैं। प्राइमर https://ncert.nic.in/primers.php?ln=en पर उपलब्ध हैं।

(iv) शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम कार्यक्रम के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। स्कूल में बच्चे ऑडियो और वीडियो समर्थित 22 अनुसूचित भाषाओं में 100 वाक्य सीखते हैं। देशभर के स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और भारतीय भाषाओं को सीख रहे हैं। पाठ्य और ऑडियो-वीडियो दोनों सामग्री https://ncert.nic.in/bs-2021.php में दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(v) राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें प्रदान करता है, जिससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और शैक्षिक स्तरों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। यह मंच 23 भाषाओं में 5,000+ गैर-शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है।

(vi) पीएम ई-विद्या पहल का विस्तार "एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच" के दृष्टिकोण के साथ 200 डीटीएच टीवी चैनलों तक हुआ है, जो विभिन्न 128 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रम-अनूकूलित सामग्री प्रदान करता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच और समावेशिता में वृद्धि हो।

(vii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुनियादी स्तर और प्रारंभिक स्तर पर भी शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चों की घरेलू भाषा, मातृभाषा या परिचित क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने का निर्धारण किया है। दिनांक 22.05.2025 की अधिसूचना https://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2025/30_Circular_2025.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) और (ड.): सीबीएसई ने दिनांक 25.06.2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कक्षा X में दो बोर्ड परीक्षाओं और इसकी कार्यप्रणाली को वर्ष 2026 से अधिसूचित किया है। अधिसूचना https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Notification_Two_Board_Examinations_Class_X_2026_25062025.pdf पर उपलब्ध है। सीबीएसई की मुख्य जिम्मेदारी IXवीं और XIवीं कक्षा में अभ्यर्थियों को पंजीकृत करना और अपने संबद्ध स्कूलों के लिए वार्षिक Xवीं और XIIवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करना है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करता है। वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने सहित नवीनतम के सुधारों को एनईपी 2020 के साथ जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य अधिक कठिनाई वाली परीक्षा के दबाव को कम करना और रटने की तुलना में लोचशीलता और योग्यता-आधारित अधिगम को बढ़ावा देना है।

****